84 **न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0**

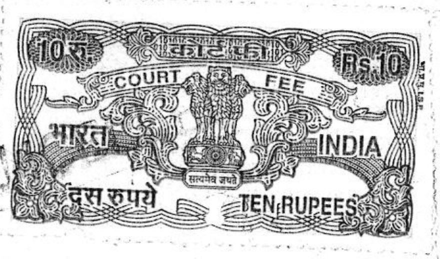

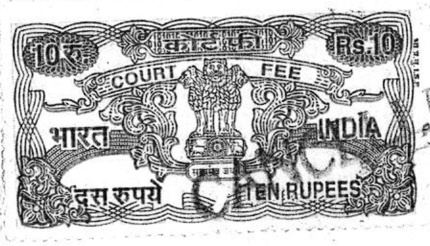

CANCELLED Rs. 20

R5145-III/16 गंगा बाई पति स्व0 राममनोहर गुप्ता निवासी–ग्राम कछराटोला पोस्ट बसकुटा तहसील व थाना मानपुर जिला–उमरिया म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती सुभद्रा सिंह रघुवंशी पति स्व0 सुग्रीव सिंह रघुवंशी निवासी–सलैया जिला–कटनी हाल निवास–ग्राम बसकुटा तहसील व थाना मानपुर जिला–उमरिया म0प्र0 ——— गैर निगरानीकर्ता

पंजी क्र. 309 10-3-16

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग 10-3-16

डांक से प्राप्त 12-3-16 1032

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–रा.सं. 1959

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2013–14 आदेश दिनांक 07/01/2016

मान्यवर

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य निम्न हैं :–

यहकि, ग्राम बसकुटा, तहसील मानपुर, जिला–उमरिया म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नं. 41/3 रकवा 0.109 हे0, 42/2 रकवा 0.474 हे0, 44/2 रकवा 0.235 हे0, 219/2 रकवा 0.113 हे0, 249/2 रकवा 0.195 हे0, 452/6 रकवा 0.809 हे0 का मालिक स्वामी काबिजदार निगरानीकर्तागण के पति/पिता राममनोहर गुप्ता थे। राममनोहर गुप्ता को धोखे में रखकर गैर निगराकार के साथ उसके पति व पुत्र द्वारा गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने का बहाना कर दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक R5/1452-II/16 जिला–उमरिया

पक्षकार का नाम गंगाबाई गुप्ता / सुभद्रा सिंह

(1)	(2)	(3)
27.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	